Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2018 = 6.371, www.srjis.com
PEER REVIEWED JOURNAL, SEPT-OCT, 2018, VOL- 6/47

शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का एक अध्ययन

कुन्दन सिंह

(शोधार्थी), शिक्षा एवं सहबध्द विज्ञान संकाय विभाग, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश, *Kundan.softmail@gmail.com*

Abstract

निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है, जो 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने का मूलभूत अधिकार प्रदान करता है। भारत में प्रारम्भिक शिक्षा को निशुल्क एवं अनिवार्य बनाने की यात्रा बहुत लंबी रही है जिसका प्रारम्भ 1870 में ब्रिटेन में पास किए गए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के आधार पर 1882 में महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया जब उन्होने हंटर कमीशन से भारत के लिए भी ऐसी ही माँग रखी। उसके बात 1910-11 के गोखले का प्रस्ताव, वर्धा आयोग (1937) आदि से होती हुई संविधान सभा में पहुँची, जहाँ प्रारम्भिक शिक्षा को राज्य के नीति- निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया गया। भारत के उच्चतम न्यायालय ने 2002 में एक प्रावधान के तहत शिक्षा को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये आवश्यक माना तथा बाद में यही 86 वां संविधान संशोधन बना। 2006 में एक मॉडल विधेयक पास किया गया तथा अगस्त 2009 में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास किया गया। परन्तु दुर्भाग्य से अभी भी इसको पूर्णतया लागू नही किया जा सका है। जिससे इसके अपेक्षित परिणाम प्राप्त नही हो पा रहें हैं। प्रस्तुत अध्ययन में भी परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन देखने का प्रयास किया गया है।

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

प्रस्तावना

"पौधों का वकास कृ ष द्वारा तथा मनुष्य का वकास शक्षा द्वारा होता है"

'Plants developby cultivation and human by education"

- John Lock

शक्षा सामाजिक परिवर्तन और वकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम है तथा यह कसी भी व्यक्ति, समाज अथवा देश की प्रगति को निर्णायक दिशा देती है। गुणवत्ता परक शक्षा के प्रचार-प्रसार द्वारा ही देश के वकास को वांछित गति एवं दिशा दी जा सकती है। अतः यह आवश्यक है की शक्षा व्यवस्था एसी हो जो सतत परिवर्तनशील समाज की वै वध्यपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। 'निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शक्षा का अ धकार अ धनियम -2009 ' समाज की शै क्षक आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा मे उठाया गया अत्यंत दूरगामी कदम है। इससे देश की शक्षा व्यवस्था मे आमूल-चूल परिवर्तन अपे क्षत है। यद्य प इसके लागू होने से हमारी शक्षा व्यवस्था के समक्ष अनेक चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई है। अब हम सभी का दायित्व न केवल 6 से 14 वयवर्ग के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य निशुल्क शक्षा उपलब्ध कराना है वरन यह भी सुनिश्चित करना है क प्रत्येक बच्चे को भय तथा तनाव रहित वातावरण मे गुणवत्ता परक शक्षा प्राप्त हो।

बच्चे हमारी परंपरा के वाहक हैं और भ वष्य क आशा भी। उत्सुकता से चमकती आँखों और परि मत ऊर्जा वाले बच्चे सबकुछ सीखने की ललक लेकर

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

आपके पास आते हैं परंतु जब स्कूल उन्हे निराश कारता है तो उनकी रू च खत्म हो जाती है और कई बार तो वे स्कूल व शक्षा की दुनिया से वापस चले जाते हैं।

निशुल्क और अनिवार्य बाल शक्षा का अ धकार अ धनियम 2009

'निशुल्क और अनिवार्य बाल शक्षा का अ धकार अ धनियम 2009 ' जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर देश के अन्य सभी राज्यों मे *1* अप्रैल 2010 से 6-14 वर्ष वर्ग के बच्चों के लए लागू हो चुका है। वश्व में ऐसे बहुत कम देश हैं , जहाँ बच्चों को निशुल्क व अनिवार्य शक्षा देने की राष्ट्रीय व्यवस्था लागू है। इस दृष्टि से यह अ धनियम भारत को प्रारम्भिक शक्षा के क्षेत्र मे सहस्राब्दी वकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की आधार भू मका उपलब्ध करा रहा है। इस अ धनियम में 6-14 वर्ष आयु के हर एक बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शक्षा प्रदान करने के लए व भन्न प्रावधान एवं उन प्रावधानों को पूर्ण करने के कए कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित हैं।

ऐतिहा सक दृष्टि से 1870 में ब्रिटेन में अनिवार्य शक्षा अ धनियम पारित होने के उपरांत सर्वप्रथम प्रत्येक बच्चे को निशुल्क एवं अनिवार्य शक्षा प्रदान करने की माँग महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा 1882 में हंटर कमीशन से की गई थी। 1906 में इंपीरियल लेजिसलेटिव असेंबली से भी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारतीय बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शक्षा का अ धकार प्रदान करने की माँग की गई। कन्तु उन्हे भी सफलता प्राप्त नही हुई। सन

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

1937 में महात्मा गाँधी ने वर्धा में राष्ट्रीय शक्षा परिषद की बैठक में भी सभी बच्चों के लए सार्वभौ मक शक्षा का प्रस्ताव रखा , कन्तु वत्तीय संसाधनों के अभाव का कारण बताकर बच्चों को ये अ धकार प्रदान नही कया गया। सन 1948-49 में सं वधान सभा के समक्ष भी ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कन्तु सं वधान सभा की सलाहाकर स मति ने इसे मौ लक अ धकार न मानते हुये नीति-निर्देशक सद्धांतों की सूची में स्वीकार कया। नीति-निर्देशक सद्धांत के अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य इस सं वधान के लागू होने के 10 साल की अव ध में सभी बच्चों के लए, जब तक क वे 14 साल क आयु को प्राप्त नही कर लेते निशुल्क और अनिवार्य शक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। सभी बच्चों के लए शक्षा की व्यवस्था के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा 1993 में प्रदत्त निर्णय में यह कहा गया क शक्षा के बिना जीवन का अ धकार अपूर्ण है। तथा 14 वर्ष तक के समस्त बच्चकों को निशुल्क प्रारम्भिक शक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है। इस निर्णय के उपरांत 86 वां संवैधानिक संशोधन 2002 के अंतर्गत मूल अ धकारों में अनुच्छेद 21 'अ' सम्मि लत कया गया जिसके अनुसार 'राज्य 6-14 वर्ष के आयु वर्ग वाले सभी बच्चों के लए निशुल्क और अनिवार्य शक्षा उपलब्ध कराने का ऐसी रीति मे जो राज्य व ध द्वारा अवधारित करे, उपलब्ध करायेगा। इसके साथ ही सं वधान के अनुच्छेद 45 के लए निम्न ल खत अनुच्छेद स्थानापन्न कया 'राज्य सभी बच्चों को जब तक

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

वे अपनी 6 वर्ष क आयु पूरी नही कर लेते , बचपन पूर्व सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

इसके फलस्वरूप प्रारम्भिक शक्षा को एक मौ लक अ धकार का दर्जा प्राप्त हुआ और सभी बच्चों को यह अ धकार उपलब्ध करने के लए प्रयत्न प्रारम्भ हुये। इसी क्रम में वर्ष 2006 में शक्षा का अ धकार अ धनियम का एक मॉडल वधेयक वक सत हुआ जो 4 अगस्त 2009 को निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शक्षा का अ धकार अ धनियम 2009 के रूप में पारित तथा 27 अगस्त 2009 को भारत के राज्य-पत्र में प्रका शत हुआ। अंततः भारत के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शक्षा प्रदान करने की यात्रा लगभग 1 शताब्दी के बाद 1010 में मंजिल प्राप्त कर सकी और 7 अप्रैल सन 2010 से शक्षा का अ धकार अ धनियम लागू हो गया। शक्षा का अ धकार अब 6-14 वर्ष तक के सभ बच्चों के लए एक मौ लक अ धकार है तथा राज्य प्रत्येक बच्चे को कक्षा 8 तक निशुल्क शक्षा उपलब्ध कराने के लए उत्तरदायी है।

अध्ययन की आवश्यकता

आजादी के बाद से अब तक हमारे देश की एक कमजोरी पप्रमुख योजनाओं का प्रभावी क्रयान्वयन न होना रहा है। सरकारें अपनी सफलता दिखाने के लये चलाई गई योजनाओं का उच्च प्रतिफल प्राप्त होने के दावे करती हैं, जब क धरातल पर यदि देखा जाता है तो योजनाओं का क्रयान्वयन ही उ चत ढंग से नही होता है , जिसके कारण योजनाओं के अपे क्षत परिणाम

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

की आशा करना ही बेमानी है। प्रस्तुत अध्ययन में भी शक्षा के अ धकार अ धनियम के संदर्भ मे सरकारी दावों तथा वास्त वक क्रयान्वयन के बीच का अंतर पता लगाने का प्रयास कया गया है।

समस्या कथन

" निशुल्क एवं अनिवार्य शक्षा का अ धकार अ धनियम 2009 के संदर्भ में परिषदीय प्राथ मक वद्यालयों का एक अध्ययन "

अध्ययन का परिसीमन

प्रस्तुत शोध में समय एवं संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये शोध कार्य को उत्तर प्रदेश के बरेली महानगर के परिषदीय प्राथ मक वद्यालायों तक ही सी मत रखा गया है।

परिकल्पना

प्रस्तुत अध्ययन के संबंध में निम्न ल खत तीन परिकल्पनाएं की जा सकती हैं।

1. शक्षा के अ धकार अ धनियम 2009 में व र्णत सभी शै क्षक प्रावधान प्राथ मक स्तर की शक्षा में लागू हो चुके हैं।
2. शक्षा के अ धकार अ धनियम 2009 में व र्णत शै क्षक प्रावधान अभी आं शक रूप से ही लागू हुये हैं।
3. शक्षा के अ धकार अ धनियम 2009 में व र्णत शै क्षक प्रावधान अभी तक बिल्कुल भी लागू नही हुये हैं।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

जनसंख्या एवं न्यादर्श व ध

प्रस्तुत अध्ययन हेतु बरेली महानगर के 134 कुल परिषदीय प्राथ मक वद्यालयों में से 25 वद्यालयों का चयन अध्ययन हेतु यादृच्छिक न्यादर्शन व ध से कया गया है तथा उपरोक्त 25 वद्यालयों से संबन्धित 150 शक्षकों, 150 छात्रों तथा 150 अ वभावकों को सम्मि लत कया गया है।

प्रयुक्त उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन को मूर्त रूप देने के लये स्वनि र्मत तीन अनुसू चयों का निर्माण कया गया है-

1. शक्षा के अ धकार अ धनियम 2009 मे अ वभावकों से संबन्धितप्रावधानों हेतु अनुसूची।
2. शक्षा के अ धकार अ धनियम 2009 में शक्षकों से संबन्धित प्रावधानों हेतु अनुसूची।
3. शक्षा के अ धकार अ धनियम 2009 में छात्रों से संबन्धित प्रावधानों हेतु अनुसूची।

आँकड़ो का संग्रह एवं सांख्यिकी

प्रस्तुत अध्ययन हेतु आँकड़ो का संग्रह सर्वेक्षण व ध से कया गया है तथा आँकड़ो के वश्लेषण हेतु प्रतिशतता व ध का प्रयोग कया गया है।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

शक्षा के अ धकार अ धनियम 2009 में प्रस्ता वत शक्षकों , अ वभावकों तथा छात्रों से संबन्धित प्रावधानों का वश्लेषण –

आर. टी. ई. 2009 के अंतर्गत व र्णत प्रावधानों अथवा सु वधाओं का नाम	प्रावधान या सु वधा की वर्तमान स्थिति अथवा उपलब्धता की प्रतिशतता
1.विद्यालयों मे कार्यरत कुल अध्यापक की प्रतिशतता	
i.एक अध्यापक वाले विद्यालय	**04 प्रतिशत**
ii.दो अध्यापक वाले विद्यालय	**24 प्रतिशत**
iii.तीन कार्यरत अध्यापक वाले विद्यालय	**32 प्रतिशत**
iv.चार कार्यरत अध्यापक वाले विद्यालय	**16 प्रतिशत**
v.पाँच कार्यरत अध्यापक वाले विद्यालय	**08 प्रतिशत**
vi.छः कार्यरत अध्यापक वाले विद्यालय	**16 प्रतिशत**
2.विद्यालयों में अध्ययनरत कुल विद्यार्थियों की प्रतिशत	
i.01-50 विद्यार्थियों वाले विद्यालय	
ii.51-100 विद्यार्थियों वाले विद्यालय	
iii.101-150 विद्यार्थियों वाले विद्यालय	**24 प्रतिशत**
iv.151-200 विद्यार्थियों वाले विद्यालय	**28 प्रतिशत**
v.201-250 विद्यार्थियों वाले विद्यालय	**12 प्रतिशत**
vi.251-300 विद्यार्थियों वाले विद्यालय	**16 प्रतिशत**
3.शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप	**16 प्रतिशत**
विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात	**04 प्रतिशत**
4.शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता	
5.विद्यालयों में अग्निशमन यंत्र के प्रयोग हेतु	**i.32 प्रतिशत विद्यालयों में शिक्षक**
प्रशिक्षित अध्यापकों की प्रतिशतता	**ii.16 प्रतिशत विद्यालयों में शिक्षक**
6.विद्यालयों में प्राथमिक उपचार बॉक्स की उपस्थिति	**iii.36 प्रतिशत विद्यालयों में शिक्ष**
7.विद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के	**iv.12 प्रतिशत विद्यालयों में शिक्ष**
आयोजन की स्थिति	**v.04 प्रतिशत विद्यालयों में शिक्षक**
8.विद्यालयों में स्टॉक रजिस्टर की उपस्थिति	**60 प्रतिशत शिक्षक शिक्षक- पात्रत**
9.शिक्षकों को टी. एल. एम. की धनराशि की उपलब्धता	
10.शिक्षकों द्वारा टी. एल. एम. के निर्माण की स्थिति	
11.नामांकित बच्चों से किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क	**12 प्रतिशत शिक्षक प्रशिक्षित**
लेने संबंधी प्रकरण	
12.बच्चों का प्रवेश से पहले स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाना	
13.विभिन्न कक्षाओं में आयु के अनुरूप नामांकित	**66 प्रतिशत में उपस्थित**

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

किए गए आउट ऑफ स्कूल/ गैरनामांकित बच्चों को कक्षा के अनुरूप विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रातिशतता	65 प्रतिशत विद्यालयों में की जाती हैं।
14.नामांकित बच्चों से किसी प्रकार का अन्य शुल्क लिये जाने की प्रतिशतता	96 प्रतिशत में उपस्थित 98 प्रतिशत को उपलब्ध हो चुकी
15.विद्यालयों मे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिये प्रशिक्षित अध्यापकों की प्रतिशतता	94 प्रतिशत द्वारा निर्माण किया गया
16.विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा बनी समय-सारणी	00 प्रतिशत
17.समय-सारणी के अनुसार विद्यालयों का संचालन	
18.विद्यालयों में बच्चों की समितियों का गठन किया जाना	36 प्रतिशत प्रकरणों में टेस्ट लिया जाता है।
19.विद्यालयों में वार्ड शिक्षा समितियों के गठन की प्रतिशतता	26 प्रतिशत
20.वार्ड शिक्षा समितियों की नियमित बैठकों की प्रतिशतता	00 प्रतिशत
21.वर्तमान सत्र में वार्ड शिक्षा समिति की औसत बैठकें	
22.शिक्षकों द्वारा विद्यालय विकास की धनराशि एवं अन्य मदों में प्राप्त धनराशि को एस. एम. सी. के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की प्रतिशतता	16 प्रतिशत 48 प्रतिशत में ही समय सारणी का प्रयोग होता है।
23.बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिये शिक्षकों द्वारा समुदाय के सदस्यों का सहयोग लिये लाने की प्रतिशतता	44 प्रतिशत का संचालन समय सारणी के अनुसार
24.प्रार्थना सभा में निम्नलिखित गतिविधियों के आयोजन की प्रतिशतता	32 प्रतिशत विद्यालयों में
i.कहानी	गठन किया गया
ii.कविता	92 प्रतिशत में गठन किया
iii.पहेली	जा चुका था
iv.चुटुकुले	
v.अभिनय	92 प्रतिशत
vi.मुख्य समाचार	09 बैठकें प्रति विद्यालय (100 प्रतिशत)
25.प्रार्थना सभा में समुदाय द्वारा सहभागिता	100 प्रतिशत
26.बाल सभा में समुदाय द्वारा सहभागिता	
27.विद्यालयों में बच्चों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की स्थिति	100 प्रतिशत
28.बच्चों की स्वास्थ्य परीक्षण संस्था	
29.वर्तमान सत्र में छात्रवृति की स्थिति	

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

30.विद्यालयों में एम. डी. एम. हेतु रसोइये की नियुक्ति	
31.शिक्षक-संदर्शिका प्रशिक्षण मॉड्यूल की उपस्थिति	
32.विद्यालयों में खेल सामाग्री की उपलब्धता	84 प्रतिशत
33.पुस्तकालय हेतु पुस्तकों की उपलब्धता	80 प्रतिशत
34.मीनू के अनुसार भोजन देने की प्रतिशतता	60 प्रतिशत
35.मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता से बच्चों की संतुष्टि की प्रतिशतता	50 प्रतिशत 26 प्रतिशत
36.शौचालय के बाद साबुन से हाथ धोने की प्रतिशतता	20 प्रतिशत
37.बच्चों को शारीरिक यातना देने के प्रकरण का	12 प्रतिशत 16 प्रतिशत
38.अध्यापकों द्वरा ट्यूशन पढ़ाने का प्रकरण	34 प्रतिशत विद्यालयों में
39.बच्चों के बैठने हेतु फर्नीचर की व्यवस्था	नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया
40.विद्यालयों में साफ पानी की उपलब्धता	जाता है।
41.विद्यालयों में बिजली की उपलब्धता	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा
एस. एम. सी. की नियमित बैठकों का औसत	जिला चिकित्सालय 84 प्रतिशत बच्चों को प्राप्त हो चुकी थी 00 प्रतिशत (एन. जी. ओ. द्वारा आपूर्ति) 84 प्रतिशत विद्यालयों में उपलब्ध 68 प्रतिशत में उपलब्ध 100 में प्रतिशत 52 प्रतिशत 22 प्रतिशत
	49 प्रतिशत 38 प्रतिशत प्रकरणों में शारीरिक यातना दी जाती है। 00 प्रतिशत 00 प्रतिशत 28 प्रतिशत 24 प्रतिशत 14 प्रतिशत

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

निष्कर्षनात्मक ववेचन -ता लका 1 की ववेचना के आधार पर परिल क्षत होता है क शक्षा के अ धकार अ धनियम 2009 के सभी प्रावधान अभी तक कसी भी प्राथ मक परिषदीय वद्यालय में पूर्ण रूप से लागू नही हुये हैं। जब क शक्षा का अ धकार अ धनियम 2009 , उत्तर प्रदेश में जुलाई 2011 से लागू है। कुछ प्रावधानों की कार्यान्वयन प्रतिशतता शून्य प्रतिशत तथा कुछ की कार्यान्वयन प्रतिशतता आं शक ही पायी गई। अतः कहा जा सकता है क शक्षा का अ धकार 2009 में व र्णत प्रावधानों का क्रयान्वयन अभी अपूर्ण है , तथा जिसे पूर्ण कया जाना गुणवत्तापूर्ण शक्षा के लये आवश्यक है। अतः यहाँ पर दूसरी परिकल्पना सत्य प्रतीत होती है।

नीति निर्धारकों हेतु सुझाव

प्रस्तुत शोध अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर प्राथ मक वद्यालयों के नीति निर्धारकों हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत कए जा सकते हैं।

1. प्राथ मक वद्यालयों के निय मत निरीक्षण हेतु एक उ चत व्यवस्था बनाई जाए, जिससे आर. टी. ई. के प्रावधानों को संपूर्णता से लागू कया जा सके।
2. सभी वद्यालय में शक्षक- छात्र अनुपात संतु लत कया जाए तथा अ धक शक्षको वाले वद्यालयों से शक्षकों को कम शक्षकों वाले वद्यालयों मे स्थानांतरित कया जाये।
3. मध्यान्ह भोजन का निय मत निरीक्षण कया जाये तथा संबन्धित स्वयं सेवी संस्था पर दृष्टि रखी जाये।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

4. प्रतिदिन वद्यालय न आने वाले शक्षकों पर कठोर कार्यवाही की जाये।

5. निय मत रूप वद्यालयों में शै क्षक गुणवत्ता की जांच की जाये।

6. शक्षकों के प्र शक्षण कार्यक्रम न्याय पंचायत स्तर पर कए जाये।

7. वद्यालयों को पूर्ण स्वायत्ता दी जाये तथा वत्तीय साधन बढ़ाये जाएँ जिससे आवश्यकता अनुसार सु वधाओ को जुटाया जाये।

8. वद्यालय की छु ी के बाद वद्यालय संपत्ति तथा परिसर की देखभाल हेतु एक निय मत कर्मचारी की नियुक्ति की जाये।

अ वभावकों हेतु सुझाव

1. बच्चों को निय मत वद्यालय भेजना सुनिश्चित करें।

2. वद्यालय का प्रबंध तथा शै क्षक गुणवत्ता बढ़ाने में शक्षकों का सहयोग करना चाहिए।

3. वद्यालय संपत्ति को चोरों तथा असामाजिक तत्वों से बचाना चाहिए।

4. वद्यालयों में समय- समय पर उपस्थित होकर अपने पाल्यों की शै क्षक प्रगति की सूचना प्राप्त करनी चाहिए।

5. बच्चों के शै क्षक संवर्धन हेतु उनको घर पर शै क्षक कार्यों तथा गृह कार्य को करने के लये प्रेरित करें।

6. अ वभावकों का यह दायित्व है क वे अपने पाल्यों के उ चत मान सक व शारीरिक वकास हेतु उनको संतु लत भोजन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

7. अ वभावक वद्यालय तथा शक्षकों से संपर्क बनाए रखे तथा आवश्यकता होने पर वद्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
8. अ वभावकों को वद्यालय प्रबंध स मति तथा वार्ड/ ग्राम शक्षा स मति के माध्यम से वद्यालय के शै क्षक उन्नयन में अपे क्षत सहयोग करना चाहिये।

शक्षकों हेतु सुझाव

1. वद्यालय में निय मत समय से उपस्थित होकर शक्षण कार्य में संलग्न होना चाहिए।
2. वद्यालय में शै क्षक गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये ।
3. अ वभावकों से संपर्क तथा सहयोग बनाए रखना चाहिये ।
4. मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखना चाहिये।
5. बच्चों को बाल केन्द्रित ढंग से उनके सर्वांगीण वकास हेतु शक्षा प्रदान करनी चाहिये।
6. बच्चों का सामाजिक व ता र्कक वकास करने के लये वद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रयाओं का निय मत रूप से आयोजन करना चाहिये।
7. बच्चों में प्रेरणा उत्पन्न करने के लये उन्हें आवश्यकतानुसार पुनर्बलन प्रदान करना चाहिये।
8. बच्चों में अनुशासन तथा उत्तरदायित्व की भवना वक सत करने हेतु उनको अनुशासन तथा उत्तरदायित्व सौपने चाहिये।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

9. स्वस्थ शै क्षक वातावरण के लये वद्यालय तथा बच्चों की स्वच्छता पर वशेष ध्यान देना चाहिये।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

बाघेल, बी० एल० (2005). भारतीय संविधान, 107 दरभंगा कॉलोनी, इलाहाबाद: सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन।

रूहेला, एस० पी० (2012-13). शिक्षा के दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय आधार, आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन।

राय, पी० एन० एवं राय, सी० पी० (2011-12). अनुसंधान परिचय, आगरा: लक्ष्मी नारायण अग्रवालपब्लिकेशन।

पाण्डेय, जे० एन० (2008). भारत का संविधान, मोतीलाल नेहरू रोड, इलाहाबाद: सेंट्रल लॉ एजेंसी पब्लिकेशन।

राणा, एम० एस० (2012). संवाद, रामपुर: जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा मुद्रित।

सिंह, वाई० पी० (2012). शिक्षा का अधिकार हकीकत या फसाना,सफलता, नोयडा: अमर उजाला पब्लिकेशन (2) 4, पृष्ठ 60-62.

ठाकुर, एस० (2012). शिक्षा का राजनीतिकरण,सफलता, नोयडा: अमर उजाला पब्लिकेशन, (2) 8, पृष्ठ 86-90.

धनकर, आर० (2012). शिक्षा का अधिकार एवं भारत में शिक्षा,अर्थव्यवस्था अवलोकन, मेरठ: धनकर पब्लिकेशन, (2) 4, पृष्ठ 6-14.

रिपोर्ट: प्रोग्राम फॉर इंटेरनेशनल स्टूडेंट असेस्मेंट (PISA)- 2012. (Retrieved from http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/PISA-2012-technical-report-final.pdf)

रिपोर्ट: प्रोग्राम फॉर इंटेरनेशनल स्टूडेंट असेस्मेंट (PISA)- 2016. (Retrieved from http://www.oecd.org/pisa/data/2015-technical-report/)

एनुएल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (ASER)- 2014. (Retrieved from http://img.asercentre.org/docs/Publications/ASER%20Reports/ASER%202014/National%20PPTs/aser2014indiaenglish.pdf)

MHRD, Government of India. (April 8, 2010). RTE Act 2009.New Delhi : MHRD

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies